[illegible] अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

[illegible] अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS

[illegible] संख्या :–

1. [illegible] नकंवर पत्नि धर्मसिंह पुत्री स्व. जयसिंह
2. [illegible] नकंवर पत्नि जीतूसिंह पुत्री स्व. जयसिंह
3. [illegible] ताकंवर पत्नि सुरेन्द्रसिंह पुत्री स्व. जयसिंह
4. [illegible] षकंवर पत्नि विजयसिंह पुत्री स्व. जयसिंह

[illegible] राजपूत निवासीगण ए–94 शिव विहार कालोनी, खातीपुरा तेजाजी के मन्दिर के [illegible] जयपुर।

अपीलान्टस

बनाम

1. [illegible] कंवर पत्नि स्व. जयसिंह
2. [illegible] पुत्र स्व. जयसिंह
3. [illegible] कंवर धर्मपत्नि स्व. अर्जुनसिंह पुत्रवधु स्व. जयसिंह
4. [illegible] पुत्र स्व. अर्जुनसिंह उम्र 8 वर्ष
5. [illegible] पुत्र स्व. अर्जुनसिंह उम्र 5 वर्ष

[illegible] जरिये संरक्षिका माता श्रीमती सपनाकंवर पत्नि स्व. अर्जुनसिंह समस्त जाति [illegible] निवासीगण ए–94 शिव विहार कालोनी खातीपुरा तेजाजी के मन्दिर के पास [illegible]

6. [illegible] जरिये तहसीलदार विराटनगर तह.विराटनगर जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट

[illegible] विरासत नामान्तरण संख्या 301 दिनांक 25.12.2010 ग्राम धोबियावाली, [illegible] विराटनगर जिला जयपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम [illegible]

<u>निर्णय</u>

दिनांक

[illegible] संख्या 301 दिनांक 25.12.2010 ग्राम धोबियावाली, तहसील विराटनगर से [illegible] अपीलान्टस ने उक्त नामान्तरण के विरूद्ध अपील निम्मन भांति पेश की [illegible] बिन्दुवार निम्मन प्रकार से है।

[illegible] अपीलान्टस मृतक जयसिंह पुत्र सुण्डासिंह की जायन्दा पुत्रियां है जो धारा 6 [illegible] अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस है। सन 2005 के [illegible] अनुसार धारा 6 मे पुत्रों व पुत्रियों को एक समान अधिकार सहदायी माना [illegible] अपीलान्टस के पिता जयसिंह पुत्र सुण्डाराम की मृत्यु दिनांक 02.12.10 को हुई [illegible] सम्पत्ति का विरासत का नामान्तरण संख्या 301 दिनांक 25.12.2010 गैर [illegible] से तहसीलदार विराटनगर ने तस्दीक कर दिया जबकि नियमानुसार 45 [illegible] ग्राम पंचायत बीलवाडी/धोबियावाली को प्राप्त था किन्तु रेस्पोडेंट [illegible] से साज कर तहसीलदार से मृतक के वारिसान की जांच किये बगैर [illegible] लिया जो कानून की दृष्टि से ऐबइनिशियो वायड है जो स्वतः ही [illegible] योग्य है।

[illegible] अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 301 ग्राम धोबियावाली को तस्दीक करने से [illegible] जयसिंह के सभी वारिसान की जांच नही की ना ही उन्हे सुनवाई का अवसर [illegible] साजिशी तौर पर रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 लगायत 5 के पूर्व हक [illegible] अर्जुनसिंह के नाम तस्दीक कर दिया जबकि अपीलान्टस मृतक जयसिंह की [illegible] पुत्रिया है तथा प्रथम श्रेणी की वारिस है। अपीलान्टस को अपने पिता की [illegible] मे कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 301 व [illegible] अपीलान्ट नल एण्ड वाईड है जो खारिज योग्य है।

[illegible] अपीलाधीन आदेश /नामान्तरण संख्या 301 दिनांक 25.12.10 की जानकारी [illegible] को कभी भी नही हुई। अपीलान्टस दिनांक 25.06.2019 को अपने गांव मे [illegible] मे आयी तो रेस्पोडेंट संख्या 1 ने कहा कि तुम्हारे पिता की सम्पत्ति को [illegible] संख्या 3 बेचान करने पर उतारू है तथा वह अपने नाम 1/3 हिस्से की [illegible] रही है तब अपीलान्टस ने कहा कि पिता की सम्पत्ति मे उनका भी [illegible] उनके नाम नामान्तरण क्यो नही खुलवाया तब रेस्पोडेंट संख्या 1 ने कहा [illegible] ही अपने जानकार पटवारी व गिरदावर से मिलकर चुपचाप नामान्तरण [illegible] मुझे भी जानकारी नही होने दी। जिसकी अपीलान्ट को जानकारी होने पर [illegible] अपीलाधीन आदेशों की पटवारी हल्का से दिनांक 08.07.2019 की [illegible] लेकर सम्पूर्ण जानकारी होने पर अपील अन्दर मियाद जानकारी से पेश [illegible]

[illegible] भूमि खसरा नम्बर 275 रकबा 1.79 है. एवं खसरा नम्बर 278 [illegible] ग्राम धोबियावाली मे अपीलान्टस का हिस्सा 4/7 दर हिस्सा 1/2 [illegible] भूमि को अपीलान्टस ही काश्त करती है। रेस्पोडेंट शुरू से जयपुर [illegible]

[illegible] अपीलान्ट के पिता की हक हिस्से की अन्य भूमि खसरा नम्बर 261 रकबा [illegible] अपीलान्टस के नाम नामान्तरण तस्दीक किया है तथा खातेदारी का अंकन [illegible] अपीलान्ट अपने हक अधिकार की भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है तथा [illegible] दिनांक 25.12.2010 को निरस्त कराने की अधिकारी है।

[illegible] नामान्तरण संख्या 301 दिनांक 25.12.10 मजमे आम मे पूर्व मे [illegible] मृतक जयसिंह पुत्र सुण्डाराम के सभी वारिसान की जांच नही [illegible] गलत पेश कर पटवारी हल्का ने दिनांक 02.12.10 को [illegible] ने पेश नही किया तथा ना ही मजमे आम मे जांच की गई। [illegible] नामान्तरण तस्दीक कराया है जो निरस्तनीय है।

[illegible] श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है तथा उचित न्याय [illegible] निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन [illegible] दिनांक 25.12.2010 द्वारा तहसीलदार विराटनगर निरस्त [illegible] तहसीलदार विराटनगर को निर्देशित किया जावे कि मृतक खातेदार [illegible] निवासी धोबियावाली के समस्त वारीसान को सुनवाई का [illegible] पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

[illegible] अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता कराई गई. रिपोर्ट [illegible] रेस्पोडेंट की तलबी हेतु नियमानुसार सम्मन नोटिस जारी कर [illegible] किया गया रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री [illegible] [illegible] पेश किया तथा रेस्पोडेंट संख्या 3, 4 व 5 की ओर [illegible] इसलिए उनके विरुद्ध एक [illegible] कार्यवाही [illegible]

[illegible] बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टस द्वारा अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्टस मृतक जयसिंह पुत्र सुण्डासिंह की जायन्दा पुत्रियां है जो प्रथम श्रेणी की वारिस है पिता की सम्पत्ति पर पुत्रो व पुत्रियों का एक समान अधिकार है। अपीलान्टस के पिता की मृत्यु 02.12.10 मे हुई थी उसके उपरान्त तहसीलदार विराटनगर ने विरासत का नामान्तरण संख्या 301 दिनांक 25.12.2010 को गैरकानूनी तरीके से तस्दीक कर दिया जबकि नियमानुसार 45 दिन का समय ग्राम पंचायत को प्राप्त था। उक्त नामान्तरण को तस्दीक करने से पूर्व मृतक जयसिंह के सभी वारीसान की जांच नही की ना ही उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किया बल्कि साजिश तौर पर रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व रेस्पोडेंट संख्या 3 के पति तथा रेस्पोडेंट संख्या 4, 5 के पिता [illegible] सिंह के नाम तस्दीक कर दिया जबकि अपीलान्ट को अपने पिता की सम्पत्ति मे समान हक अधिकार है। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 275 व खसरा नम्बर 278 को अपीलान्टस ही काश्त करती है। रेस्पोडेंट शुरू से ही जयपुर रहते है। इसके अलावा अपीलान्ट के पिता की अन्य भूमि खसरा नम्बर 261 रकबा 0.98 है. वाके ग्राम धोबियावाली मे अपीलान्ट के नाम नामान्तरण तस्दीक किया है तथा राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी का अंकन है। जिससे भी उक्त विवादित भूमि का हक अधिकार प्राप्त करने के अपीलान्टस अधिकारी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पंचायत मे पेश नही हुई ना ही मजमे आम मे जांच की गई तथा गलत हथकण्डो से उक्त नामान्तरण संख्या 301 तस्दीक करवाया गया है। इसलिए उक्त नामान्तरण को खारिज किया जावे तथा अपीलान्टस की अपील को स्वीकार कर अपीलान्टस का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे।

4. रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 के वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि पिता की सम्पत्ति मे पुत्रों व पुत्रियों का एक समान अधिकार है। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 275, 278 वाकेग्राम धोबियो का बास मे अपीलान्टस का राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। मृतक जयसिंह पुत्र सुण्डासिंह के सभी वारिसान की जांच कर पुनः विरासत का नामान्तरण खोला जावे तो हमे कोई आपत्ति नही है।

5. उभय पक्षो की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य एवं सबूतों का [illegible] अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि नामान्तरण संख्या 301 दिनांक 25.12.2010 वाकेग्राम धोबिया वाली तहसील विराटनगर तहसीलदार विराटनगर द्वारा तस्दीक किया है। उक्त नामान्तरण विराटनगर के तहसीलदार ने तस्दीक किया है। उक्त आपेक्षित नामान्तरण बाबत वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस मे जाहिर किया है कि उक्त विरासत का नामान्तरण स्वीकार करते समय अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया पटवारी हल्का की रिपोर्ट ग्राम पंचायत मे पेश नही की ना ही मजमे आम मे वारिसों की जांच हुई, बिना सभी वारिसान की जांच किये ग्राम पंचायत को 45 दिन का अधिकार प्राप्त होते हुए भी तहसीलदार विराटनगर ने उक्त विरासत का नामान्तरण 301 दिनांक 25.12.2010 को स्वीकार किया है जो गैर कानूनी है जबकि अपीलान्टस मृतक जयसिंह पुत्र सुण्डाराम की जायन्दा पुत्रियां है जो प्रथम श्रेणी की वारिस है। उक्त नामान्तरण मे अपीलान्टस का नाम अंकन ना करके रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 के पति तथा 4, 5 के पिता [illegible] के नाम स्वीकार किया है जो न्यायोचित नही है। जबकि उक्त विवादित भूमि को अपीलान्टस ही काश्त करती है इसके अलावा अपीलान्टस की अन्य भूमि खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.98 है. वाके ग्राम धोबियावाली मे अपीलान्ट के नाम नामान्तरण [illegible] है तथा राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी का अंकन है जिससे भी उक्त [illegible]

[illegible] बहस मे कथन किया है कि विवादित भूमि मे अपीलान्टस का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जाये तो हमे कोई आपत्ति नही है यदि मृतक जयसिंह के सभी वारिसान की जांच कर पुनः विरासत का नामान्तरण खोला जावे तो हमे कोई आपत्ति नही है। चूंकि उक्त नामान्तरण संख्या 301 तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 25.12.10 को विरासत का स्वीकार किया है जो विरासत का नामान्तरण स्वीकार करते समय मृतक जयसिंह के सभी वारिसान की जांच किये बिना ही उक्त नामान्तरण स्वीकार किया है जो गैर कानूनी है। जबकि पिता की सम्पत्ति मे पुत्रों व पुत्रियों का एक समान अधिकार बनता है। उक्त नामान्तरण मे पिता की सम्पत्ति मे अपीलान्टस का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन नही किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व रेस्पोडेंट संख्या 3 के पति तथा 3, 4 के पिता अर्जुनसिंह के नाम ही उक्त नामान्तरण खोला जाकर स्वीकार किया गया है। तहसीलदार विराटनगर द्वारा आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा [illegible] है भूमि मे पिता की सम्पत्ति मे अपीलान्टस का नामान्तरण तस्दीक हुआ है तथा राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्टस का नाम दर्ज रिकार्ड है। इसलिए उक्त नामान्तरण संख्या 301 तस्दीक करते समय तहसीलदार विराटनगर को उक्त नामान्तरण मे अपीलान्टस का नाम दर्ज किया चाहिए था इससे स्पष्ट जाहिर है कि उक्त नामान्तरण संख्या 301 स्वीकार करते समय मृतक जयसिंह के वारिसान की जांच नही की, वारिसान की जांच के अभाव मे अपीलान्टस का नाम दर्ज नही हुआ इसलिए उक्त नामान्तरण संख्या 301 वाकेग्राम धोबिया वाली तहसील विराटनगर को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

[illegible] उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 301 तस्दीक द्वारा तहसीलदार विराटनगर दिनांक 25.12.10 वाकेग्राम धोबियावाली तहसील विराटनगर को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार विराटनगर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि मृतक जयसिंह पुत्र [illegible] के सभी वारिसान की जांच पडताल कर उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान कर [illegible] सम्मत निर्णय पारित कर मृतक के सभी वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड मे [illegible] करने की कार्यवाही करे।

[illegible] निर्णय आज दिनांक ....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(signature)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)